



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

क्र. : 3575/SEIAA/2022

दिनांक: 24/3/22

प्रति,

श्री सखाराम यादव,
निवासी ग्राम चंदेल, तहसील पुनासा, जिला खंडवा (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्र. 8886/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री सखाराम यादव, निवासी ग्राम चंदेल, तहसील पुनासा, जिला खंडवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC की अनुशंसानुसार) एवं मुरुम 9510 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.10 हेक्टेयर मे से 1.0016 हेक्टेयर (SEAC की अनुशंसानुसार उत्खनन हेतु शेष क्षेत्र) खसरा 92/2, ग्राम चंदेल, तहसील पुनासा, जिला खंडवा (म.प्र.)।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 712वीं बैठक दिनांक 10.03.2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया

प्रकरण में स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 704वीं बैठक दिनांक 14.02.2022 में निम्न निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 542वीं बैठक दिनांक 21.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार प्रस्तावित खदान से पक्की सड़क 43 मीटर, मानब बसाहट 167 मीटर एवं खदान क्षेत्र के बीच से नहर व इंदिरा सागर बांध की अंडरग्राउण्ड नहर पाईप लाईन की संरचना होना परिलक्षित है।

अतः प्रकरण में जिला कलेक्टर, खंडवा से प्रस्तावित खदान के निकटतम पक्की सड़क 43 मीटर, मानब बसाहट 167 मीटर एवं खदान क्षेत्र के बीच से नहर व इंदिरा सागर बांध की अंडरग्राउण्ड नहर पाईप लाईन होने की वास्तविक स्थिति के दृष्टिगत क्या उत्खनन कार्य किया जा सकता है, का स्पष्ट अभिमत सहित जानकारी 10 दिवस में प्राप्त की जाये तदानुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा सके।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 08.03.2022 के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खंडवा का पत्र क्र. 1551 दिनांक 07.03.2022 प्रस्तुत कर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पर्यावरणीय सवेदनशीलता के दृष्टिगत पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन को निरस्त (Reject) किया जाये। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार आपका प्रकरण निरस्त (Reject) किया जाता है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 3576 /SEIAA/2022

दिनांक - 24/3/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला - खंडवा (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला - खंडवा (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. जिला खनिज अधिकारी, जिला - खंडवा (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी